



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 09.11.2021

1-थाना सैक्टर 58 पुलिस द्वारा कम्पनी के कर्मचारी द्वारा कम्पनी से 76 लेपटॉप मेमोरी मोडयूल एवं, 32 हार्ड डिस्क चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना सैक्टर-58 पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2021 को गोल चक्कर सैक्टर-62, नोएडा से कम्पनी के कर्मचारी द्वारा कम्पनी से 76 लेपटॉप मेमोरी मोडयूल, 32 डेस्टॉप से हार्ड डिस्क चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त नवनीत कटियार पुत्र स्व० राम अवतार कटियार निवासी ग्राम बाजरा खुर्द मोहम्मदी थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर उ०प्र० हाल पता एल-1, 1002, कलाउड-9 वैशाली सैक्टर-01, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 18.02.2021 को वादी द्वारा थाना सैक्टर-58 नोएडा पर सूचना अंकित करायी कि कम्पनी से 76 लैपटाप मेमोरी मोडयूल एवं 32 डेस्कटॉप से हार्ड डिस्क की चोरी की गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं०-68/2021 धारा 381, 406 भादवि पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

नवनीत कटियार पुत्र स्व० राम अवतार कटियार निवासी ग्राम बाजरा खुर्द मोहम्मदी थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर उ०प्र० हाल पता एल-1, 1002, कलाउड-9 वैशाली सैक्टर-01, गाजियाबाद

अभियोग का विवरण:

1.मु०अ०सं०-68/2021 धारा 381, 406 भादवि थाना सै० 58, नोएडा



बाइक बोट घोटाला प्रकरण से सम्बन्धित मु0अ0सं0 697/2020 धारा 2/3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर के अभियुक्त राजेश भारद्वाज द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित कर खरीदी गयी होंडा सिटी कार को किया गया कुर्क।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेंट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

इस कड़ी में दिनांक 02.11.2021 को विशेष न्यायालय (अपराध सम्पत्ति अधिग्रहण) पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार वाद संख्या 018/2021 अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अनुपालन में मु0अ0सं0 697/2020 धारा 2/3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश भारद्वाज पुत्र शंकर लाल शर्मा निवासी 40 शेख पेन चम्पालाल की हवेली खुर्जा थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर की होंडा सिटी कार रजिस्ट्रेशन नम्बर DL4CAY4023 जो कि थाना एक्सप्रेस वे पर अन्य अभियोगों में दाखिल थी उपरोक्त अभियोग में माननीय न्यायालय श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय गौतमबुद्धनगर के आदेश के अनुपालन में दिनांक 09.11.2021 को कुर्क किया गया है।

अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।

